

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.11.2025	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलान्त/अधिवक्ता लम्बे समय से अनुपस्थित है। वकील रेस्पोंडेंट संख्या 8 द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत आदेश 22 नियम-3 व 9 का अवेटमेन्ट संबंधी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.07.2017 का भी अध्ययन किया गया। प्रस्तुत अपील वेणा पिता कालुजी भील, वजेराम पिता नारुजी भील, नकारी बेवा नारु भील व लोगरी बेवा टेकलाल भील द्वारा ग्राम हाथीधरा, तहसील बडगांव, उदयपुर की आराजी नम्बर 3637/1007 एवं आराजी नम्बर 3638/1000 के नामान्तरकरण के संदर्भ में पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा के लोक अदालत कैम्प, तहसील बडगांव के फैसले का अध्ययन किए जाने पर इसमें न्यायालय संभागीय आयुक्त के प्रकरण संख्या 85/2015 के निर्णय दिनांक 09.05.2017 का संदर्भ पाया गया।</p> <p><u>अभिलेखागार से संदर्भित निर्णय दिनांक 09.05.2017 को तलब किया गया। तदनुसार संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा आबादी भूमि से संबंधित प्रकरणों का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होना मानते हुए प्रकरण क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया जाना पाया गया।</u></p> <p>उपरोक्त पृष्ठभूमि में चूंकि उन्हीं अपीलार्थीगण द्वारा समान विषयवस्तु व अनुतोष से संबंधित अपील समान खसरा नम्बर के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाने से प्रकरण में Res Judicata का सिद्धान्त लागू होता है। अतः न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण संख्या 85/2015 के संदर्भ में प्रस्तुत अपील पोषणीय (Maintainable) नहीं होने से निरस्त की जाती है।</p> <p><u>फैसला आज दिनांक 19.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</u></p>	<p>19/11/2025</p> <p>संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)</p>